एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			एओ संख्या 522 सन 2023 **माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.** **माननीय पंकज पुरोहित, जे.** श्री भुवन भट्ट, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता | 2. प्रत्यर्थी के लिए कोई उपस्थित नहीं है। 3. यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर एक अपील है जो कि मूल वाद नं. 76 सन 2022 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून द्वारा पारित दिनांक 02.09.2023 के आदेश को चुनौती देता है। इस आदेश के द्वारा, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिसीमन तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है जोकि मुकदमे में आवश्यक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता के लिखित बयान दाखिल करने के अवसर को बंद कर दिया गया। 4. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दी गयी राय को दोष नहीं दिया जा सकता। यह कानून में तयशुदा स्थिति है कि परिसीमन तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, और यदि परिसीमन के मुद्दे से जुड़े तथ्य विवादित हैं, तो इसका निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता। 5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पार्टियों के बीच निष्पादित समझौते में एक मध्यस्थता खंड था और अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में कहा था कि मध्यस्थता खंड के मद्देनजर, मुकदमा वर्जित है, इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत दायर माना जाना चाहिए था। अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया आवेदन स्थगन आवेदन के समर्थन में दाखिल किये गये हलफनामा के अनुलग्नक-3 के रूप में रिकार्ड में है। उक्त आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 (2) में निहित प्रावधान के तहत दायर नहीं की गयी थी जो कहता है कि उपधारा (1) के आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति के साथ ना हो। मध्यस्थता अनुबंध मध्यस्थता आवेदन के साथ संलग्न नहीं था न ही उसके द्वारा अदालत से दूसरे पक्ष को बुलाने और उससे मूल मध्यस्थता समझौता या प्रमाणित प्रति को उपस्थित करने के लिए कहने का अनुरोध करने के लिए कोई याचिका दायर की गई , इसलिए, अपीलार्थी के आवेदन को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 (2) के तहत दायर नहीं माना जा सकता। 6.चूँकि उसका आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी), के तहत दायर किया गया था , अपीलकर्ता ने 21.01.2023 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी), के तहत अपने आवेदन के निस्तारण तक अपने लिखित बयान दायर करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए एक और आवेदन किया , जिसकी विद्वान निचली न्यायालय द्वारा अनदेखी की गयी। 7. इस प्रकार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश संशोधित किया जाता है, और अपीलकर्ता आज से

			तीन सप्ताह के भीतर लिखित बयान दायर कर सकेगा | **(पंकज पुरोहित, जे.)** **(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे)** **01.12.2023** पीएन